

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 10 मार्च 2017

विषय:-

कन्नौज में छिबरामऊ-सौरिख-बिधूना मार्ग (एमडीआर-13) किमी 0.000 से 31.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 21.6 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1554 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

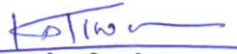
उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-1727/कन्नौज/22835/2016, दिनांक 16 फरवरी, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कन्नौज में छिबरामऊ-सौरिख-बिधूना मार्ग (एमडीआर-13) किमी 0.000 से 31.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 21.6 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1554 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2-

अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या-पी-18 (1)/14-2-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 3- जिलाधिकारी, कन्नौज।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कन्नौज।

आज्ञा से,


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।